

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

188
2019

एनुमानसहाय | 20/05/2019
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

1.

06/10/21

आज यह दोनों पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुईं। चूँकी दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय व डिक्री के विरुद्ध हैं एवं दोनों प्रकरणों में प्रश्नगत आराजीयात समान हैं, अतः दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो में सलग्न की जावे।

संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रामेश्वर पुत्र श्योबकक्ष व छितरं पुत्र श्योबकक्ष के द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट्स के विरुद्ध एक वाद बाबत तकासमाँ व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसमें प्रश्नगत आराजीयात का विवरण अंकित करते हुये उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से का उल्लेख करते हुये प्रश्नगत आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत तकासमाँ चाहा गया एवं प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही गयी कि प्रश्नगत आराजी में बाद तकासमाँ वादीगण के कब्जे काशत में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 की और से ईकजाई जवाब वाद प्रस्तुत हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 7 की और से पृथक से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ। दोनों ही जवाब वाद के माध्यम से विधिवत तकासमें की स्वीकृति जाहिर की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2011 के माध्यम से वाद प्रारम्भिक डिक्री करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में यह अंकित करते हुये कि खातेदारों के निहित हिस्से के अनुसार उनके कब्जे काशत को प्राथमिकता प्रदान करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स मौके पर उभयपक्षों की मौजूदगी में तकासमाँ कर कुर्रेजात रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाने हेतु तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया गया। तहसील जयपुर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसमें कुर्रेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ प्राप्त आपत्तियों पर पक्षकारान को सुना जाकर दिनांक 16/07/2012 को प्राप्त आपत्तियों को निरस्त करते हुये तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध वादीगण/रेस्पो. द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04/05/2018 के द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2012 निरस्त फरमाते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में पक्षकारान की उपस्थित में तहसील से सभी पक्षकारान के कब्जे काशत को प्राथमिकता प्रदान करते हुये बाई मीट्स एण्ड



J. M. S.
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	188 2019	धनुमानसहाय शमेरवर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व टिप्पणी अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---	--	---

2

बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रैजात प्राप्त कर पुनः प्रकरण का राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन के सन्दर्भ बनाये गये नियमों के परिपेक्ष में निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में पुनः कार्यवाही प्रारम्भ कर पुनः कुर्रैजात पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5 की और से प्राप्त आपत्ति कुर्रैजात पर बहस समायत की जाकर पुनः आपत्ति कुर्रैजात खारिज करते हुये तहसील से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर अपने अन्तिम निर्णय दिनांक 11/04/2019 के द्वारा वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 188/2019 प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 एवं 7 की और से प्रस्तुत की गयी एवं अपील संख्या 199/2019 विशाल चौधरी पुत्र विधाधर सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी। दोनों ही अपीलों में बहस पक्षकारान समायत की गयी।

अपील संख्या 188/2019 के अपीलकर्ता अभिभाषक द्वारा अपील में मुख्य तौर से यही बहस की गयी कि प्रकरण को राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04/05/2018 के द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था कि तहसीलदार उभयपक्षों की उपस्थिति में मौके पर कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करे किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो पक्षकारान को किसी प्रकार की सूचना दी गयी बल्कि रेस्पोंडेंट को लाभ पहुंचाने की गरज से बाला-बाला कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार करवाई गयी एवं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश दिये गये थे कि मौका रिपोर्ट तैयार करवाते वक्त मौके पर पक्षकारान के कब्जे काशत को प्राथमिकता दी जावे किन्तु तहसीलदार द्वारा तहसील कार्यालय में बैठकर बिना किसी पक्षकार को सूचना दिये कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दी गयी। प्रकरण में कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा नहीं बनायी जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी है जो कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि यदि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाते तो मौके पर निर्माण व बाउण्ड्री किये हिस्से को उन्ही को ही प्रदान किया जाता। आगे बहस में अभिभाषक अपीलार्थी ने बताया कि कुर्रैजात रिपोर्ट पर मात्र वादी/रेस्पों. संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी/रेस्पों. संख्या 3 के हस्ताक्षर है, यदि तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारान को सूचना दी गयी होती तो समस्त पक्षकारान के कुर्रैजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी



[Signature]
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

एनुमानसहाय | 21 मई 2019
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


तारीख हुकम

188
2019

3

होते। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट के विरुद्ध इस आशय की आपत्ति दर्ज कराई थी कि उनको उनके कब्जे के स्थान पर भूमि नहीं दी गयी एवं ना ही उनके हिस्से के अनुसार रोड पर फ्रन्ट दिया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तियों पर गौर नहीं कर आपत्ति प्रार्थना पर खारिज करते हुये तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुये इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि जिन पक्षकारो को पीछे की भूमि दी गयी है उसमे पहुँचने के लिये किसी प्रकार का रास्ता नहीं दर्शाया गया है जिससे विभाजन के पश्चात भी पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा स्पस्ट रूप से अंकित किया था कि जो प्रश्नगत आराजी में गैस पाईप लाईन की भूमि है जिसका मुआवजा रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष 2002 में ही उठा लिया गया है उसके उपरान्त भी उक्त भूमि अपीलांट संख्या 4 को दी गयी है जबकी अपीलान्ट्स को भूमि बैचान करते समय जो उसके नक्शे में भूमि प्रदान की गयी थी उक्त भूमि को छोड़कर अन्य जगह भूमि दी गयी है जबकी राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि कब्जे को प्राथमिकता देते हुये निर्णय पारित किया जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस क्रानूनी बिन्दु पर भी कतई गौर नहीं किया गया कि भूमि के रिकार्डेड खातेदार काशतकार विशाल चौधरी का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट में भी उसका नाम दर्ज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर उसको पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः स्पष्ट निर्देश प्रदान कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित नियमो की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील संख्या 199/2019 के अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16/07/2012 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 एवं रेस्पो. संख्या 9 स्याणी देवी पत्नी भैरुराम के हिस्से में ख. न. 274/1084 का रकबा 2 बीघा किस्म बारानी-3 आयी। रेस्पो. संख्या 9 द्वारा


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

188
2019

एनुमानसहाय / रामेश्वर
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2012 के अनुपालना में आयी भूमि संख्या 274/1084 रकबा 2 बीघा जिसके परिवर्तित ख. न. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख. न. 274/1206 रकबा 2 बीघा दर्ज है में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/05/2017 के द्वारा उक्त सन्दर्भित 2 बीघा भूमि का 1/4 उत्तरी-पूर्वी कोने का हिस्सा रकबा 10 बिस्वा का बैचान अपीलार्थी को कर मौके पर भौतिक कब्जा विक्रय पत्र के सलामन नक्शे अनुसार सम्भला दिया गया, जिस पर क्रेता अपीलार्थी क्रय की दिनांक से मौके पर काबिज काशत होकर बाउण्ड्रीवाल बनाकर रहवास करता चला आ रहा है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी अधीनस्थ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध हितधारी पक्षकार है अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो. ने बहस में मुख्य रूप से यही आपत्ति दर्ज कराई की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व अन्तिम निर्णय व डिक्री 16/07/2012 के पश्चात जो प्रश्नगत आराजी का हस्तान्तरण रेस्पो. संख्या 9 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को किया गया है वह अन्तिम निर्णय व डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/05/2018 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसका तात्पर्य यही है कि प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में अभी तक कोई स्पष्ट खसरा नम्बर या आराजी रेस्पो. संख्या 9 को प्राप्त होना शेष था जिसके अभाव में प्रश्नगत आराजी में विशिष्ट भू-भाग का बैचान रेस्पो. संख्या 9 द्वारा अपीलार्थी को किया जाना लिस पेन्डेसी के सिद्धांत के विपरीत होने से बैचान का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता, जिससे अपीलार्थी को प्रकरण में हितधारी पक्षकार नहीं माना जाना चाहिये एवं उसके द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी निरस्त फरमाया जाकर अपील संधारणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस पक्षकारान बाबत प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलांट के हक में रजिस्टर्ड बैचान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 एवं रेस्पो. संख्या 9 के हक में प्राप्त ख.न. 274/1084 का रकबा 2 बीघा आया, में से प्रतिवादी संख्या 7/ रेस्पो. संख्या 9 द्वारा किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 7/ रेस्पो. संख्या 9 को प्राप्त आराजी में से प्रार्थी/अपीलार्थी को बैचान किया गया है जिससे उक्त बैचान के सन्दर्भ में लिस पेन्डेसी का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विक्रय के

J. J. J.
राजस्व अपील प्राधिकारी



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	188 2019	हनुमानसहाय रामे 202 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स.जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए 5.
------------	---	---	--

पश्चात क्रयशुदा आराजी के सन्दर्भ में प्रार्थी/अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भी अंकित हो चुका है जिससे स्पष्ट रूप से प्रार्थी/अपीलार्थी हितधारी पक्षकार हो गया है, अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपील पर अभिभाषक पक्षकारान की बहस समाप्त की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील की गुणावगुण पर बहस करते हुये मुख्य रूप से निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/05/2018 में स्पष्ट अंकित किया गया था कि कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार करते वक्त प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारान के कब्जे काशत को प्राथमिकता प्रदान करते हुये कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार की जावे। जबकी तहसील से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट में अपीलार्थी की क्रयशुदा आराजी ख.न. 274/1084 वर्तमान ख. न. 274/1206 जिस पर अपीलार्थी द्वारा बाउण्ड्रीवाल खिंचवा कर रहवास कर रहा है के स्थान 274/1225 में से रकबा 10 बिस्वा दिया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि तहसील से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 05/09/2018 के साथ नक्शे में अपीलार्थी को जो भूमि दर्शायी गयी है उस भूमि में गैस पाईप लाईन जा रही है जिसका फसली नुकसान एवं मुआवजा रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 पूर्व में ही प्राप्त कर चुके है जिससे यदि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान की उपस्थिति में मौके की सही स्थिति का संज्ञान लिया जाकर कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार की जाती तो अपीलार्थी को मौके पर उसकी कब्जेशुदा आराजी यदि ख.न. 274/1206 के उत्तरी-पूर्वी कोने की आराजीयात ही दी जाती किन्तु तहसीलदार स्वयं न तो मौके पर गये न ही अपीलार्थी को कोई नोटिस दिया गया एवं उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किये गये है वे पूर्ण रूप से विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारान के कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुये पुनः अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जावे।

अपील संख्या 199/2019 के सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही आपत्ति दर्ज कराई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2012 को राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 04/05/2018 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त पूर्व कुर्रैजात रिपोर्ट जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को आराजी ख. न. 274/1206 का रकबा प्राप्त हुआ था स्वतः ही निरस्त हो जाता है, जिससे प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा उक्त विशिष्ट खसरा नम्बर में



C
L
h

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम

188
2019

एनुमानसद्वय / रामेश्वर
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जर्ज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

6

से अपीलार्थी को किया गया विशिष्ट भू-भाग का बैचान अब मायने नहीं रखता एवं अब वह हिस्सा प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार नहीं रहता, जिससे पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट में अंकित हिस्से एवं उसके आधार पर पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री में अंकित हिस्से को ही प्राप्त करने का अपीलार्थी हक रखता है, जिससे यह अपील संख्या 199/2019 आधारहीन होने से खारिज की जावे।

अपील संख्या 188/2019 के सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही दर्ज कराया कि कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार करवाते वक्त तहसीलदार मौके पर गये थे एवं अपीलार्थीगण भी उपस्थित थे किन्तु उन्होंने कुर्रैजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से ईन्कार कर दिया तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुर्रैजात रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियों पर अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री विधिसम्मत पारित की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16/07/2012 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 04/05/2018 के अनुसार प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारान के कब्जे के सन्दर्भ में ध्यान रखा जाकर पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तहसील से कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त की गयी किन्तु तहसीलदार द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट मौके पर स्वयं की उपस्थिति में तैयार करने हेतु पक्षकारान को सूचीत किया जाना कतई स्पष्ट नहीं है क्युकी पक्षकारान के कुर्रैजात रिपोर्ट पर कही भी हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर आधारित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील के अवलोकन से यह भी तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जे पर गौर किया गया हो क्युकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में जैसाकी अपील संख्या 199/2019 के अपीलकर्ता द्वारा अपील में एवं बहस के दौरान स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह ख.न. 274/1206 में क्रयशुदा आराजी पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर रहवास कर रहा है किन्तु ऐसा नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख एवं उक्त अपीलकर्ता को वह विशिष्ट भाग नहीं दिये जाने की वजह अंकित नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर से रिमाण्ड होने के पश्चात भी अपीलार्थी



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

188
2019

एनुमानसहाय / शमेश्वर
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

7.

विशाल चौधरी को वाद की पुनः सुनवाई में पक्षकार समायत नहीं किया गया जबकी कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलार्थी विशाल चौधरी का हिस्सा अंकित किया गया है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलार्थी का उनवान में नाम अंकित हुये बगैर उसके हिस्से के सन्दर्भ में निर्णय पारित किया जाना विधिविरुद् है। चूँकी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व में भी स्पष्ट निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि मौके पर काबिज पक्षकारान के कब्जे का कुर्रेजात रिपोर्ट में ध्यान देते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवं उस पर पुनः निर्णय पारित किया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में इस तथ्यों पर कतई गौर नहीं किया गया है कि मौके पर कब्जे के सन्दर्भ में पक्षकारान की क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त जैसाकि अभिभाषक अपीलार्थीकर्ताओ द्वारा यह आपत्ति भी उठाई गयी थी कि मौके अपीलकर्ताओ को पीछे की जमीन दी गयी है जिस पर आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किया जाना प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण एक बार पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त सन्दर्भित समस्त बिन्दुओ का स्पष्ट पालन हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देश दिये जावे तत्पश्चात कुर्रेजात पर बहस पक्षकारान समायत की जाकर प्रकरण में विधिवत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित की जावे। तदनुसार दोनों अपीले क्रमशः 188/2019 व 199/2019 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2019 निरस्त किये जाते है।

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/10/21 को लिखायां जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

J. P. Singh
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

